



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.09.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैण्ट मे पंजीकृत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व कुल 5000/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-403/2019 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त महेश सिंह पुत्र स्व0 बृजवासी सिंह निवासी- ग्राम इन्दारा मझकी पट्टी थाना कोपागंज जनपद मऊ को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 29.09.2025 को माननीय विशेष न्यायालय एसीसी- 3 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त महेश सिंह उपरोक्त को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध में 03 वर्ष का कारावास की सजा व 5000/- रुपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त कुल 01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।